

[2024] 6 एस.सी.आर. 471 : 2024 आईएनएससी 367

**चैत्र नागममनवर**

**बनाम**

**कर्नाटक राज्य और अन्य**

(सिविल अपील संख्या 6772-6773 वर्ष 2023)

02 मई 2024

[पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा\* और अरविंद कुमार, न्यायाधीश]

**विचारणीय मुद्दा**

विचाराधीन चयन के लिए, क्या बेंगलोर विश्वविद्यालय 2001 के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य था, जो उसके विज्ञापन के अनुसार चयन का तरीका/विधि होनी थी; क्या प्रतिवादी संख्या 7 2001 के नियमों के अनुसार नियुक्त होने का हकदार था; क्या विश्वविद्यालय द्वारा कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिनियम, 1978 के तहत बनाए गए 2001 के नियमों का पालन करने के उद्देश्य से जारी किए गए उपरोक्त विज्ञापन में कोई अवैधता थी?

**शीर्ष टिप्पणियाँ**

संकर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्तियों आदि का आरक्षण) अधिनियम, 1990 - धारा 4(1ए), 2(2), 2(3)(vi) - कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पद) (विशेष भर्ती) नियम, 2001 - कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 - धारा 53, 54, 78 - कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिनियम, 1978 - बेंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लंबित रिक्त पदों को भरना - विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 द्वारा शासित विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्तियों पर 2001 के नियमों की प्रयोज्यता - अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 7, दोनों अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) के एकमात्र पद पर नियुक्ति के लिए पात्र थे, जो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था - जबकि अपीलकर्ता उच्च पद पर था योग्यता के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 7 की आयु 29-40 वर्ष के बीच थी, और इस प्रकार, वह 2001 के नियमों के तहत एक अधिमान्य उम्मीदवार था, जो विज्ञापन के अनुसार चयन का

तरीका/विधि होनी थी। हालांकि, विश्वविद्यालय ने अपनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलकर्ता को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी संख्या 7 2001 के नियमों के अनुसार नियुक्ति का हकदार है। सटीकता:

**अभिनिर्धारित:** विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लंबित पदों को भरने का विवाद आरक्षण अधिनियम, 1990 की धारा 4(1ए) के समावेश के साथ समाप्त हो गया। वास्तव में, उपधारा (1ए) को शामिल करने का कारण

\* लेखक

यह था कि विश्वविद्यालयों द्वारा 2001 के नियमों के आदेश का पालन नहीं किया गया था। 2001 के नियमों के प्रावधान को विश्वविद्यालयों तक विस्तारित करने के लिए, उपधारा (1ए) को शामिल किया गया। इस प्रकार, धारा में उपधारा (1ए) के समावेश के बाद कोई अनिश्चितता नहीं रह गई। आरक्षण अधिनियम, 1990 की धारा 4 के अनुसार, किसी संस्थान, अर्थात् विश्वविद्यालय को, सरकार द्वारा निर्धारित विधि का पालन करते हुए एक बार के उपाय के रूप में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है। संशोधन का उद्देश्य और लक्ष्य विश्वविद्यालयों के लिए 2001 के नियमों के आवेदन पर विचार करने वाले उद्देश्यों और कारणों के विवरण से स्पष्ट था। 2001 के नियमों को लागू करने के लिए सरकार की स्पष्ट मांगों का जवाब न देने का विश्वविद्यालय का आचरण, लागू कानून और नीति की उसकी स्वीकृति निर्णायक प्रमाण है, और इसलिए, सरकार द्वारा रिक्त पदों की पहचान करने, उन्हें भरने और उन्हें पूरा करने के लिए तरीके, प्रक्रिया और समय निर्धारित करने की आवश्यकता विश्वविद्यालय के लिए स्पष्ट थी। इसी दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय ने विज्ञापन दिया कि 'चयन का तरीका' 2001 के नियमों के अनुसार होगा। 2001 के नियमों का अनुपालन अनिवार्य था। विश्वविद्यालय अपने विज्ञापन में घोषित बातों का पालन करने के लिए बाध्य था। 2001 के नियम विचाराधीन चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि प्रतिवादी संख्या 7 2001 के नियमों के अनुसार नियुक्त होने की हकदार है। विवादित निर्णय के विरुद्ध अपीलें खारिज कर दी गईं। हालांकि, अपीलकर्ता लगभग साढ़े चार वर्षों से कार्यरत है। विश्वविद्यालय उसे समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार कर सकता है। [पैरा 16, 17, 20, 22 और 23]

## उद्धृत निर्णयजन्य विधि

ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाम दयानंद [2008] 15 एससीआर 331 : (2008) 10 एससीसी 1; एन.टी. बेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग [1990] 2 एससीआर 239 : (1990) 3 एससीसी 157 - संदर्भित।

## अधिनियमों की सूची

कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्तियों आदि का आरक्षण) अधिनियम, 1990; कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पद) (विशेष

भर्ती) नियम, 2001; कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000; कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिनियम, 1978; यूजीसी विनियम, 2010; यूजीसी (चौथा संशोधन) विनियम, 2016

## प्रमुख शब्दों की सूची

लंबित रिक्तियां; चयन; नियुक्ति; विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन; एकल पद पर नियुक्ति; सहायक प्रोफेसर; विज्ञापन के अनुसार चयन की विधि/तरीका; विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति; विश्वविद्यालय विज्ञापन का अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

## मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6772-6773 वर्ष 2023

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के दिनांक 12.03.2021 के निर्णय एवं आदेश से

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु, डब्ल्यू संख्या 233 और 190 वर्ष 2021

## अधिवक्तागण

शैलेश मडियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, वैभव सभरवाल, सुश्री दिविजा महाजन, सुश्री सुनीधि हेगड़े, मृगांक प्रभाकर, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।

गगन गुप्ता, आनंद संजय एम. नुली, वरिष्ठ अधिवक्ता, रहमतुल्ला कोठवाल, सिद्दीका आयशा, सुश्री सारा परवीन, सुश्री मंजू जेटली, डी. एल. चिदानंद, रविंद्र कुमार वर्मा, ईशान राँय चौधरी, शुभांशु पाधी, सूरज कौशिक, शिव स्वरूप, अगम शर्मा, मेसर्स नुली एंड नुली, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

## सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

### निर्णय

#### पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति

1. नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धी दावों से संबंधित एक सामान्य सेवा विवाद को इस न्यायालय के नव नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं, श्री शैलेश मडियाल, श्री आनंद संजय एम. नुली और श्री गगन गुप्ता ने एक मनोरंजक बहस में बदल दिया। प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित श्री डी.एल. चिदानंद ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों का सटीक, स्पष्ट और निश्चित रूप से जवाब देते हुए शानदार तर्क दिए।
2. हमारे विचार के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत गठित बेंगलोर विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित पदों पर लंबित रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 21.03.2018 को एक विज्ञापन जारी किया। सहायक प्रोफेसरों के लिए विज्ञापित 34 पदों में से अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था।

---

*1. इसके बाद इसे 'विश्वविद्यालय अधिनियम' कहा जाएगा।*

3. विज्ञापन में यह प्रावधान है कि पद के लिए योग्यताएं यूजीसी विनियम, 2010 और यूजीसी (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 के अनुसार होंगी। विज्ञापन में निर्दिष्ट 'चयन विधि' महत्वपूर्ण है। यह प्रावधान है कि चयनित उम्मीदवारों की सूची कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पद) (विशेष भर्ती) नियम, 2001, जिसे आगे '2001 नियम' कहा गया है, के अनुसार तैयार की जाएगी। 2001 नियमों के नियम 6 में 29 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवारों को वरीयता देने का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों में से, जो 29-40 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं, उन्हें मेधावी उम्मीदवारों से भी अधिक वरीयता प्राप्त होगी।
4. अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 7 दोनों अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवार हैं, और दोनों ही अंग्रेजी विभाग में एसटी समुदाय के उम्मीदवार के लिए आरक्षित सहायक प्रोफेसर के एकमात्र पद पर नियुक्ति के पात्र थे। हालांकि अपीलकर्ता योग्यता में उच्चतर

था, प्रतिवादी संख्या 7 की आयु 29-40 वर्ष के बीच थी, और इस प्रकार, 2001 के नियमों के नियम 6 के अनुसार वह वरीयता प्राप्त उम्मीदवार था। यद्यपि विश्वविद्यालय ने विज्ञापन में कहा था कि 'चयन प्रक्रिया' 2001 के नियमों के अनुसार होगी, फिर भी उसने अपनी स्वयं की प्रक्रिया का पालन किया और योग्यता के आधार पर अपीलकर्ता को नियुक्त किया। प्रतिवादी संख्या 7 ने स्वाभाविक रूप से कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 4923/2020 दायर करके अपीलकर्ता की नियुक्ति को चुनौती दी।

5. उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 16.01.2021 के एक निर्णय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता के चयन और नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विश्वविद्यालय ने विज्ञापन में स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि 'चयन प्रक्रिया' 2001 के नियमों के अनुसार होगी। इसलिए, 29-40 वर्ष की आयु वर्ग में न आने वाले अपीलकर्ता की नियुक्ति अवैध थी। परिणामस्वरूप, वरीयता प्राप्त उम्मीदवार प्रतिवादी संख्या 7 को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।

---

2 “चयन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों की सूची निम्नलिखित कर्नाटक सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार की जाएगी:

1. क्रमांक डीपीएआर 13 एसबीसी 2001 दिनांक: 21.11.2001 और दिनांक: 01.06.2002
2. यूजीसी विनियम 2010, यूजीसी (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 और एआईसीटीई 2016 विनियम।”

6. अपीलकर्ता और विश्वविद्यालय ने क्रमशः उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपनी-अपनी रिट अपीलें, अर्थात् डब्लू.ए. 190/2021 और 233/2021 दायर कीं। एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए, खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 2001 के नियमों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 नियुक्ति के योग्य है। इस प्रकार, मूल रूप से नियुक्त उम्मीदवार अपीलकर्ता द्वारा यह वर्तमान दीवानी अपील दायर की गई है।
7. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने से पहले, इस मामले से संबंधित तीन कानूनों का उल्लेख करना आवश्यक है: कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिनियम, 1978; कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्तियों आदि का

आरक्षण) अधिनियम, 1990; और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सिविल सेवा अधिनियम, 1978 के अंतर्गत निर्मित 2001 के नियमों की प्रयोज्यता पर भी विचार करेंगे।

8. विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार लंबित रिक्तियों को भरने के लिए प्रासंगिक कानून आरक्षण अधिनियम, 1990 और 2001 के नियम होंगे। ये नियम सिविल सेवा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो स्वाभाविक रूप से कर्नाटक राज्य के अंतर्गत सिविल सेवाओं से संबंधित है। विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्तियों पर 2001 के नियमों की प्रयोज्यता, जो विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा शासित है, वह विवाद है जिसके कारण वर्तमान मुकदमा चल रहा है।

9. बेंगलोर विश्वविद्यालय कर्नाटक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 द्वारा शासित है। इस कानून की धारा 53 विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 'नियुक्ति बोर्ड' को मान्यता देती है। धारा 54 में प्रावधान है कि किसी भी बात के होते हुए भी धारा 54 में यह प्रावधान है कि... धारा 53 के अनुसार, राज्य सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रोफेसरों, रीडरों, प्रधानाचार्यों और सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्तियाँ यूजीसी द्वारा विकसित योजना के अनुसार सिंडिकेट द्वारा की जाएँगी। इसके अतिरिक्त, धारा 78 के तहत, विश्वविद्यालय अधिनियम को अन्य कानूनों पर अधिभावी माना गया है।

10. विश्वविद्यालय अधिनियम के अतिरिक्त, एक व्यापक कानून है, जिसका नाम है कर्नाटक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नियुक्ति आदि के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1990। इसका उद्देश्य राज्य सिविल सेवाओं और 'संस्थानों' में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना है। आरक्षण अधिनियम, 1990 के अंतर्गत 'संस्थान' और 'नियुक्ति प्राधिकारी' की परिभाषाएँ प्रासंगिक हैं। धारा 2(2) और 2(3)(6) में 'नियुक्ति प्राधिकारी' और 'सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

*“धारा 2. परिभाषाएँ: अधिनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो [...]*

*(2) किसी सेवा या पद के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का अर्थ है ऐसी सेवा या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;*

(3) “सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान” का अर्थ है,- [...]

(vi) राज्य विधानमंडल के किसी कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित या स्थापित माना जाने वाला विश्वविद्यालय

[...]”।

10.1 आरक्षण अधिनियम, 1990 का सबसे प्रासंगिक प्रावधान धारा 4 है।

सहायता के लिए इसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

**“धारा 4. नियुक्तियों या पदों आदि का आरक्षण:-** (1) निर्धारित दिन के बाद, कर्नाटक राज्य की सिविल सेवा में किसी कार्यालय या कर्नाटक राज्य के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्ति करते समय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए नियुक्तियाँ या पद उस सीमा तक और उस तरीके से आरक्षित होंगे जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है

---

संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4ए) के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए, घटक इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसर और रीडर, प्रिंसिपल और सहायक प्रोफेसर के पदों पर तथा प्रिंसिपल ग्रेड-I, प्रिंसिपल ग्रेड-II, लेक्चरर (सिलेक्शन ग्रेड), लेक्चरर (सीनियर स्केल) के पदों पर नियुक्ति सिंडिकेट द्वारा पदोन्नति संबंधी योजनाओं के अनुसार की जाएगी, जैसा कि कानूनों में निर्धारित है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित योजनाओं को अपनाया गया है।

[...]”

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 के तहत सरकार द्वारा जारी आदेश में।”

(ज़ोर दिया गया)

10.2 विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण अधिनियम, 1990 की धारा 4 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया की प्रयोज्यता के बारे में अनिश्चितता थी, क्योंकि धारा 4 राज्य की सिविल सेवा और कर्नाटक राज्य के अधीन सिविल पदों में नियुक्तियों के बारे में बात करती है। आम धारणा यह थी कि राज्य की सिविल सेवा में कोई कार्यालय या राज्य के अधीन कोई सिविल पद, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 53 के तहत परिकल्पित 'शिक्षकों' को शामिल नहीं करता है। 2001 के नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन करके विश्वविद्यालय में लंबित रिक्तियों को भरने के संबंध में यह अनिश्चितता और भी अधिक थी।

10.3 इन्हीं परिस्थितियों में आरक्षण अधिनियम, 1990 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। धारा 4 में उपधारा (1ए) को शामिल करने के उद्देश्य और कारणों का विवरण ('एसओआर') स्थिति को स्पष्ट करता है और हमें नई उपधारा (1ए) को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करता है।

**“संशोधन अधिनियम 8 वर्ष 2004.-** सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए कर्नाटक सिविल सेवा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पद) (विशेष भर्ती) नियम, 2001 के अंतर्गत दिनांक 21.11.2001 को एक अधिसूचना जारी की। यह विशेष भर्ती नियम कर्नाटक सिविल सेवा अधिनियम, 1978 (कर्नाटक अधिनियम 14 वर्ष 1990) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या डी.पी.ए.आर. 13 एस.बी.सी. 2001, दिनांक 6 अगस्त 2001 में प्रकाशित किया गया था। यह अधिसूचना उन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सभी रिक्त पदों को भरने के लिए जारी की गई थी, जहां सेवा शर्तें कर्नाटक सिविल सेवा अधिनियम, 1978 द्वारा शासित हैं। मंत्रिमंडल ने प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की एक उप-समिति नियुक्त की।” समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। आज की तारीख में समाज कल्याण विभाग ने 17021 रिक्तियों की पहचान की है, जिनमें से 14485 रिक्तियों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इनमें से 11573 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं और शेष रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट उप-समिति को यह बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों के लिए विशेष भर्ती) नियम, 2001 विश्वविद्यालयों, जिनमें कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान आदि शामिल हैं, पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वे उक्त नियमों के दायरे में नहीं आते हैं। दिनांक 21.11.2001 और 1.6.2002 की अधिसूचना के दायरे में इन संस्थानों को शामिल न करने का अर्थ यह है कि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा लंबित रिक्त पदों को भरने में कानूनी खामी आ सकती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन संस्थानों, अर्थात् विश्वविद्यालयों आदि द्वारा भर्ती प्रक्रिया का 80% हिस्सा शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों दोनों के लिए पहले

ही पूरा हो चुका है और भर्ती किए गए व्यक्ति पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, पहले से ही की गई भर्तियों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए अधिनियम में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है। बनाया गया। [...]"

10.4 एसओआर से यह स्पष्ट है कि कैबिनेट उप-समिति ने यह महसूस किया कि 2001 के नियम विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं किए गए थे क्योंकि वे 2001 के नियमों के दायरे में नहीं आते हैं। इसी कारण से आरक्षण अधिनियम, 1990 में संशोधन किया गया और निम्नलिखित उप-धारा (1ए) को जोड़ा गया। अधिनियम की धारा 4 में नई जोड़ी गई उप-धारा (1ए) इस प्रकार है:

**“धारा 4: नियुक्तियों या पदों आदि का आरक्षण: 1. [...]**

(1ए). किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2004 के प्रारंभ होने की तिथि को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान में किसी सेवा या पद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की पहचान करेगा और उन्हें एक निर्दिष्ट समय के भीतर एक बार के उपाय के रूप में भरने की कार्रवाई करेगा। रिक्तियों की संख्या की गणना करने का तरीका गणना की गई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया और जिस समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जानी है, वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएगी।

बशर्ते कि उप-धारा के प्रावधान कर्नाटक राज्य सिविल सेवा या पद में किसी भी रिक्त पद पर लागू नहीं होंगे, जिसके संबंध में पहले से ही प्रावधान किए जा चुके हैं [...]"

(जोर दिया गया)

11. आरक्षण अधिनियम, 1990 की धारा 4 में उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, आरक्षण अधिनियम, 1990 की उप-धारा (1ए) के दायरे में आ गए। आरक्षण अधिनियम, 1990 की धारा 2(2), 2(3)(vi) और धारा 4 की उप-धारा (1) और (1ए) को विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 53 और 54 के साथ मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के नियुक्ति बोर्ड को वर्ष 2004 के संशोधन की तिथि तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पहचान करने और उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक बार में भरने का कार्य सौंपा गया है। यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं है। वास्तव में, यह दोनों कानूनों के स्वाभाविक प्रवाह में है।

12. हालांकि, कठिनाई उप-धारा (1ए) के उत्तरार्ध से उत्पन्न होती है, जिसमें यह प्रावधान है कि पहचान, भरने और पूरा करने का तरीका, प्रक्रिया और समय 'राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा'। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि राज्य सरकार ने धारा 4(1ए) के अनुसरण में पहचान, भरने और पूरा करने के तरीके, प्रक्रिया और समय को निर्दिष्ट करते हुए कोई अधिसूचना जारी की हो। उप-धारा (1ए) चयन की विधि और तरीके को निर्दिष्ट करने की शक्ति सरकार को सौंपती है।

13. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शैलेश मडियाल का तर्क है कि विश्वविद्यालय का विज्ञापन, जिसमें यह घोषित किया गया है कि 'चयन का तरीका' 2001 के नियमों के तहत होगा, एक त्रुटि है। वे इसे त्रुटि इसलिए कहते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित कानूनों द्वारा शासित होगा, न कि 2001 के नियमों द्वारा, विशेष रूप से तब जब ये नियम कर्नाटक राज्य सिविल सेवा के अंतर्गत बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1978 के अनुसार, विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है और राज्य सिविल सेवाओं को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियमों से कभी भी बाध्य नहीं हो सकता, और न ही उनके द्वारा शासित हो सकता है, यह उनका तर्क है।

14. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद संजय एम. नुली ने अपीलकर्ता के समान ही रुख अपनाया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 78 इस कानून के प्रावधानों को अन्य कानूनों पर अधिभावी बनाती है। उन्होंने विश्वविद्यालय में 'शिक्षकों' के पदों पर नियुक्तियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 53 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें सहायक प्रोफेसर, रीडर और प्रोफेसर शामिल हैं।

15. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गगन गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 4(1ए) के तहत सरकार को अधिसूचना जारी करके चयन की विधि और ढंग निर्दिष्ट करने का जो आदेश दिया गया था, वह तब पूरा हो गया जब विश्वविद्यालय ने स्वयं विज्ञापन जारी कर यह अधिसूचित किया कि 'चयन का तरीका' 2001 के नियमों के अनुसार होगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह उपधारा (1ए) को लागू करने के उद्देश्य का स्वाभाविक परिणाम है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों को 2001 के नियमों का पालन करने में सक्षम बनाना था। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा

विश्वविद्यालय को 2001 के नियमों का पालन करने के लिए लिखे गए कुछ पत्रों का भी हवाला दिया।

16. हम इस प्रश्न की जांच करेंगे कि क्या सिविल सेवा अधिनियम के तहत बनाए गए 2001 के नियमों का पालन करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में कोई अवैधता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 2001 के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, तो हम माननीय एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के निर्णयों की पुष्टि करेंगे और इन अपीलों को खारिज कर देंगे। दूसरी ओर, यदि हम पाते हैं कि 2001 के नियम लागू नहीं होते हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति में उनका विस्तार नहीं होता है, तो हम अपीलों को स्वीकार करेंगे और अपीलकर्ता की नियुक्ति की पुष्टि करेंगे।

17. विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लंबित पदों को भरने का विवाद आरक्षण अधिनियम, 1990 की धारा 4(1ए) के शामिल होने के साथ समाप्त हो जाता है। वास्तव में, उपधारा (1ए) को शामिल करने का कारण यह है कि विश्वविद्यालयों ने 2001 के नियमों के निर्देशों का पालन नहीं किया था। 2001 के नियमों के प्रावधान को विश्वविद्यालयों तक विस्तारित करने के लिए उपधारा (1ए) को शामिल किया गया था और यह उपधारा (1ए) को शामिल करने वाले संशोधन के एसओआर से स्पष्ट है।

18. उपधारा (1ए) के तहत रिक्त पदों की पहचान, प्रक्रिया और गणना, भरने और भरने की प्रक्रिया को पूरा करने का अधिकार विशेष रूप से सरकार को सौंपा गया है। संशोधन का उद्देश्य रिक्त पदों की पहचान, भरने और भरने की विधि, प्रक्रिया और समय निर्धारित करने का अधिकार राज्य को देना है। सरकार द्वारा इसे निर्धारित करने का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये स्थितियाँ विभिन्न सेवाओं और संस्थानों में भिन्न-भिन्न होती हैं। अपने संसाधनों के कारण सरकार इन मामलों को बेहतर ढंग से संभाल सकती है। यह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 54 से भी स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी। यह सर्वविदित तथ्य है कि इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हालाँकि, विश्वविद्यालय को 2001 के नियमों में निर्धारित चयन विधि का पालन करने के लिए सरकार की निरंतर माँग की जानकारी थी। इसलिए, वैधानिक आवश्यकता और सरकारी माँग के अनुपालन में, विश्वविद्यालय ने यह विज्ञापन जारी किया कि 'चयन विधि' 2001 के नियमों के अनुसार होगी।

19. सरकार की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की रिक्तियों को भरते समय 2001 के नियमों का अनुपालन करने की मांग करते हुए पत्र लिखे गए हैं। अब हम इन पत्रों का उल्लेख करेंगे। 21.03.2018 को विज्ञापन जारी होने से पहले ही, कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने 27.02.2018 को विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखकर 2001 के नियमों और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लंबित शिक्षण पदों को भरने का निर्देश दिया था। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकार ने भी 22.05.2018 और 09.06.2021 को विश्वविद्यालय को इसी प्रकार के पत्र लिखकर यह निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए 2001 के नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इन पत्रों के साथ, विश्वविद्यालय के विज्ञापन की वैधता और औचित्य से संबंधित मुद्दा निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है।

20. श्री शैलेश मडियाल के इस तर्क को हम अस्वीकार करते हैं कि विज्ञापन में 2001 के नियमों को 'चयन पद्धति' घोषित करना त्रुटिपूर्ण है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय अपने विज्ञापन में घोषित बातों का पालन करने के लिए बाध्य है: 2001 के नियम संबंधित चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं। प्रथम, आरक्षण अधिनियम, 1990 की धारा 4 में उपधारा (1ए) के लागू होने के बाद कोई अनिश्चितता नहीं रह गई थी, जिसके अनुसार किसी संस्थान, अर्थात् विश्वविद्यालय को, सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति का पालन करते हुए एक बार में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई करनी होगी। द्वितीय, संशोधन का उद्देश्य और लक्ष्य इसके एसओआर से स्पष्ट था, जिसमें विश्वविद्यालयों के लिए 2001 के नियमों के आवेदन की परिकल्पना की गई थी। तीसरा, विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27.02.2018, 22.05.2018 और 09.06.2021 के पत्रों के माध्यम से सरकार की स्पष्ट मांगों का जवाब न देना, 2001 के नियमों को लागू करने से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विश्वविद्यालय ने लागू कानून और नीति को स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए विज्ञापन जारी किया है। अतः, रिक्त पदों की पहचान करने, उन्हें भरने और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विधि, प्रक्रिया और समय को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता विश्वविद्यालय को भलीभांति ज्ञात थी।

इसी दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय ने विज्ञापन दिया कि 'चयन का तरीका' 2001 के नियमों के अनुसार होगा।

21. उपरोक्त कारणों से, प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था। एकल न्यायाधीश के तर्क को दोहराते हुए, खंडपीठ ने विस्तृत आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को बरकरार रखा। मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हमने अपने कारण बताए हैं कि प्रतिवादी संख्या 7 को इस न्यायालय के समक्ष भी सफलता क्यों मिलनी चाहिए। अतः अपीलें खारिज की जानी चाहिए, और हम इन्हें एतद्वारा खारिज करते हैं।

22. अपीलों को खारिज करने के बाद, हम पाते हैं कि विश्वविद्यालय के आचरण के कारण इस मामले में एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है। यद्यपि अपीलकर्ता की नियुक्ति 2001 के नियमों के नियम 6 के उल्लंघन में की गई थी, फिर भी वह रिट कार्यवाही के दौरान पद पर बनी रही। जब माननीय एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 7 की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता की दिनांक 27.12.2019 की नियुक्ति को रद्द कर दिया, तो अपीलकर्ता ने खंडपीठ से संपर्क किया और स्थगन आदेश प्राप्त किया। डिवीजन बेंच द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए रिट अपील खारिज करने के बाद, उन्होंने इस न्यायालय में याचिका दायर की और पुनः स्थगन आदेश प्राप्त किया, जो आज तक प्रभावी है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता की दिनांक 27.12.2019 की नियुक्ति आज तक बिना किसी बाधा के जारी है। वह लगभग साढ़े चार वर्षों से कार्यरत हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 7 को नियुक्ति से अनुचित रूप से वंचित किए जाने के मामले को उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता की नियुक्ति को रद्द करते हुए संबोधित किया और यह निर्देश दिया कि प्रतिवादी संख्या 7 को नियुक्ति दी जाए। यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि प्रतिवादी संख्या 7 को सफल होना चाहिए और उसे उसके उचित पद पर बहाल किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय को भी अपीलकर्ता की चिंताओं को दूर करना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अपीलकर्ता की किसी गलती के कारण नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के उदासीन आचरण के कारण उत्पन्न हुई है। अपीलकर्ता के साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए, विश्वविद्यालय उनके लिए एक अतिरिक्त पद सृजित करने पर विचार कर सकता है। हम इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि किसी कैडर में निर्धारित पदों के अतिरिक्त ऐसे पद सृजित करने की सीमाएँ हैं, लेकिन

यह ऐसा विवेकाधिकार प्रयोग करने की असाधारण परिस्थिति है। हम इस मुद्दे पर निर्णय लेने और आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार विश्वविद्या

23. उपरोक्त कारणों से, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा रिट अपील संख्या 233/2021 सह रिट अपील संख्या 190/2021 (एस-आरईएस) में दिनांक 12.03.2021 को पारित निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध सिविल अपील संख्या 6772-6773/2023 को पिछले अनुच्छेद में की गई टिप्पणियों के अधीन खारिज किया जाता है।

24. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

*मामले का परिणाम:* अपीलें खारिज।

†शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार तैयार की गई: दिव्या पांडेय

**यह अनुवाद (सुधीर) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।**